फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 133/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/136) **श्री नारायणसिंह राजपूत बनाम तहसीलदार राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री कमलेश चौहान - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. श्री नारायणसिंह पिता श्री हरिसिंह जी राजपूत, अरनिया तहसील आमेट जिला राजसमंद। **अपीलार्थी** 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमंद। 2. जिला कलक्टर, राजसमंद। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद का निर्णय दिनांक 21.06.2022, प्रकरण संख्या 09/2019, बउनवानी श्री नारायणसिंह बनाम राज्य** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 02.05.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद का निर्णय दिनांक 21.06.2022, प्रकरण संख्या 09/2019, बउनवानी श्री नारायणसिंह बनाम राज्य, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमंद समक्ष पटवारी हल्का बोरज द्वारा धारा-91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया किया कि श्री नारायणसिंह पिता श्री हरिसिंह राजपूत निवासी अरणिया हाल बोरज का खेड़ा तहसील राजसमंद द्वारा ग्राम बोरज के खेड़ा के आराजी संख्या 810 रकबा 1-14 बीघा किस्म बंजड चारागाह भूमि में से 0-10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर पटवारी एवं भू-अभिलेख की संयुक्त टीम द्वारा मौका निरीक्षण किया। गठित टीम के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। आराजी संख्या 810 रकबा 1-14 बीघा किस्म बंझड़, ग्राम बोरज का खेड़ा पटवार हल्का बोरज के राजस्व रेकार्ड में चारागाह राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मौके पर गठित टीम द्वारा आराजी संख्या 810 की मौके पर नपती की गई व चारों दिशाओं में पुख्ता खेत की पाली व कुंओं के मध्य बिन्दुओं से मिलान किया गया, मौके पर नपती करने के बाद आराजी संख्या 810 रकबा 1-14 बीघा में से 0-10 बीघा भूमि पर श्री नारायणसिंह पिता श्री हरिसिंह राजपूत निवासी अरणिया का अतिक्रमण पाया गया। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार राजसमंद द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 08.11.2019 से अपीलार्थी को राजकीय चारागाह भूमि पर आवंटित पट्टे के अलावा किये गये भाग पर अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली के आदेश पारित करते हुए शास्ति 50 रूपये अधिरोपित करते हुए राजकोष में जमा करने का आदेश प्रसारित किया। ● तहसीलदार राजसमंद के निर्णय दिनांक 08.11.2019 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 21.06.2022 पारित किया कि ‘‘उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार राजसमंद द्वारा पारित आदेश प्र.स. 30/2019 निर्णय दिनांक 08.11.2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार राजसमंद को इस निर्देश के साथ	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 133/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/136) **श्री नारायणसिंह राजपूत बनाम तहसीलदार राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को उद्योग प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के नक्शा ट्रेस अनुसार तहसीलदार स्वयं मौके की जांच कर आंवटित भूमि के नक्शा ट्रेस अनुसार अपीलांट काबिज नहीं है तो अतिक्रमित भूमि पर किया गया निर्माण को ध्वस्त किया जावें। यदि अपीलांट उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में यदि कोई साक्ष्य/सबूत या दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो पुनः सुना जाकर प्रकरण का निस्तारण करें।''

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द के उक्त आदेश दिनांक 21.06.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 01.05.2024 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने में विधिक भूल की है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि जो कि उसको जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा उद्योग हेतु इसी आराजी में से 1-10 बीघा भूमि आवंटित की थी, उक्त आवंटित भूमि पर ही अपीलार्थी काबिज होकर उद्योग स्थापित कर रखा है। उक्त आवंटन जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश क्रमांक राजस्व/उद्योग/2010/11-17 दिनांक 04.01.2011 की अनुपालना में आराजी संख्या 810 में 1-10बीघा भूमि आवंटित की गई, जिसका पट्टा उद्योग प्रयोजनार्थ दिनांक 01.06.2011 को जारी किया गया जिसका पंजीयन दिनांक 02.06.2011 को किया गया और उसके पड़ौस अंकित किये गये। आंवटन उपरान्त मौके पर कब्जा प्राप्त किया गया जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित की गई और अपीलार्थी उसी स्थान पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है और सुरक्षा हेतु आवंटित भूमि बाउण्ड्री निर्मित कर रखी है। आवंटन उपरान्त राजस्व विभाग द्वारा आवंटित भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में पारित किया गया परन्तु राजस्व विभाग की लापरवाही से नक्शें में तरमीम सही नहीं की गई। राजस्व विभाग द्वारा कृत लापरवाही को नंजरअदांज करते हुए तहसीलदार द्वारा जो धारा-91 की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, वह विधि के विपरित है। अपीलार्थी ने न्यायालय सिविल जज, राजसमंद में वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कर रखा है जिसमें न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कर रखी है कि लीज डीड में वर्णित पड़ौस के मध्य स्थित अपीलार्थी की आवंटित भूमि में अपीलार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट, बाधा एवं बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। उक्त अंतरिम निषेधाज्ञा अपीलार्थी के पक्ष में जारी होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने धारा-91 की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कानून सही कब्जा है, ऐसी स्थिति में संक्षिप्त कार्यवाही में अपीलार्थी को बेदखल नहीं किया गया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमंद समक्ष उपरोक्त समस्त स्थिति उपलब्ध थी फिर भी उनके द्वारा स्पष्ट निर्णय पारित न कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया जो अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नहीं थी। अपीलार्थी उक्त पेशी के संबंध में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने हेतु सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में साक्ष्य हेतु दिनांक 01.10.2022 को उपस्थित हुआ, तब अपीलाधीन निर्णय जानकारी में आया, जानकारी में आते ही अपील मय प्रार्थना पत्र मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ दोनों न्यायालय के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 133/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/136) **श्री नारायणसिंह राजपूत बनाम तहसीलदार राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर मनन किया गया। सुलभ न्याय के सिद्वान्त के दृष्टिगत एवं न्यायहित में हस्तगत अपील के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को उपशमित किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन किये जाने के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 06.07.2020 में अंकित किया गया है कि **"अप्रार्थी की कब्जेशुदा भूमि में से अप्रार्थी को आराजी नम्बर 821/810 के अलावा आराजी नम्बर 810 की भूमि रकबा करीब 0-10 बीघा भूमि भी सम्मिलित है। अतिक्रमित आराजी नम्बर 810 की उत्तरी दिशा में करीब 0-05 बीघा भूमि जो कि रास्ते के उपयोग के लिये छोडी गई थी पर अपीलार्थी द्वारा लोहे की फाटक व दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है एवं इसी आराजी, आराजी नम्बर 810 के पश्चिम दिशा में करीब 0-05 बीघा भूमि पर ऑफिस, गार्डन व मार्बल्स स्लेब्स रखने के यार्ड बने होकर अतिक्रमण किया हुआ है"**। तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवंटित भूमि से अतिरिक्त अन्य भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालयों एवं अपीलीय न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कथनों पर पूर्ण विचार विश्लेषण उपरान्त तहसीलदार राजसमंद के धारा-91 के तहत पारित आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण नवीन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा यह भी सफलतापूर्वक खण्डन नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में क्या विधिक त्रुटि है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद का निर्णय दिनांक 21.06.2022 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर